बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

विभागीय संकल्प संख्या–15/पी5–07/2018–367 दिनांक–13.02.2021 के आलोक में राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रु० 50,000/– (पचास हजार रुपये) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी। इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्तों को पूरी करती हो :–

(क) बिहार के स्थायी निवासी हो।

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों/संस्थानों से **दिनांक–31.03.2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो।**

2. राज्य के अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों (खुला विश्वविद्यालय सहित) से दिनांक–31.03.2021 के उपरान्त स्नातक/स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता प्राप्त छात्राएँ ऑनलाईन पोर्टल,पताः–**medhasoft.bih.nic.in/mkuysnatak2021** पर आवेदन करें।

3. ऑनलाईन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाईन निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक के मोबाईल पर सूचना प्राप्त होगी।

4. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा Upload किये गये परीक्षाफल से जाँच के उपरान्त विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने की कार्रवाई की जायेगी।

5. योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेंमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी शाखा में हो।

6. योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट **Educationbihar.gov.in** पर देखा जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं०–9534547098, 8986294256 एवं ई–मेल– mkuysnatakhelp@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक, उच्च शिक्षा

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

PR. No. 14124 (Education) 2022-23